28/2/25

पत्रावली पेश हुई। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकृत करने का कथन करते हुए रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति दी गई। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक 1124 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी आवेदित रास्ता स्वीकृत करने हेतु पक्षकार आपस में सहमत होना बतलाते हुए रिपोर्ट भिजवाई गई है। जो शामिल पत्रावली है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति 251–ए आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की मांग पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि चक 2 एसएनजी के प.न. 117/151 के मु.न. 34 किला नं. 5/1, 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 एवं पत्थर नम्बर 217/152 मु.न. 38 किला नम्बर 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 में से पत्थर लाईन पर पूर्वी दिशा की और उतर से दक्षिण दिशा की तरफ अपने खेत में प्रवेश हेतु दो–दो बिस्वा यानि 0.025 है प्रत्येक में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner